न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :— 15/2025 ई.रे.

नाथुसिंह पिता लखमा मीणा नि. मरावदिया तह. बडीसादडी

—वादी

बनाम

1— तारू उर्फ ताराचन्द पिता वाला मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
2— हरजी पिता वाला मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
3— मांगु सिह पिता वख्ता मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
4— भभुत सिंह पिता वख्ता मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
5— भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 209 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :— 31/07/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का केवलपुरा की आराजी खसरा नं. 395/82 रकबा 0.0650 हैक्ट. एवं आराजी नं. 396/82 रकबा 0.0650 हैक्ट. भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम पर आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड की स्थित है उक्त भूमि के पुराना आराजी नं. 82 रकबा 0.1300 हैक्ट. था जो वादी के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है। ग्राम कल्याणपुरा की नई खतोनी संख्या 64 की आराजी खसरा नं. 150 रकबा 0.1100 हैक्ट. लगानी 2.09 रूपया भूमि राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 4 के नाम पर खातेदारी दर्ज रिकार्ड की स्थित है उक्त वादग्रस्त आराजीयात के साबिक आराजी खसरा नं. 59 रकबा 0.13 बिस्वा सम्वत 2067 से 2070 में था उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 तारू, प्रतिवादी क्रमांक 2 हरजी तथा प्रतिवादी क्रमाकं 3 व 4 के पिता वख्ता तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की माता गेन्दीबाई ने वादी के पक्ष में दिनांक 07.02.2011 को रूबरू गवाहों की उपस्थिति में उप पंजीयक कार्यालय बडीसादडी में उपस्थित होकर वादी के नाम पर पंजीबद्ध कराया तथा विक्रेतागण द्वारा वक्त विक्रय भूमि पर कब्जा वादी को सिपुर्द किया तथा उस पर कब्जा वादी ने प्राप्त किया, तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त भूमि रजिस्ट्रर्ड बिकाव नामा के जरिये से वादी के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसके भू—प्रबन्ध के दौरान नवीन हाल आराजी खसरा संख्या 82 रकबा 0.1300 हैक्ट. बने, उक्त भूमि को वादी ने आवासीय उपयोग हेतु रूपान्तरण भी करवाया जिसके आधार पर उक्त भूमि के आराजी नं. 395/82 रकबा 0.0650 हैक्ट. तथा 394/82 रकबा 0.0650 हैक्ट., पड़े उक्त भूमि पर वादी बहैसीयत काबिज होकर उसका उपयोग—उपभोग कर रहे है। वादी अपने स्वामित्व की भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादीगण अपने खाते की भूमि पर काबिज है जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व नक्शे में मौके से भिन्न काश्त एवं उपयोग उपभोग कर रहे है वादी मौके अनुसार प्रतिवादीगण की खसरे नम्बर 150 की आराजी का उपयोग उपभोग कर रहा है व प्रतिवादीगण वादी के खसरा नं. 82 मे काश्त कर रहे है जो की मिस्टेटमेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड है जिसको वादी राजस्व नक्शे में दुरस्त कर मौके कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की घोषणा कराना चाहता है अतः ये राजस्व नक्शे में तरमीम की घोषणा कराई जाकर आराजी नं. 82 के स्थान पर आराजी नं. 150 तथा आराजी नं. 150 के स्थान पर आराजी नं. 82 दर्ज कराया जाना न्यायोचित है। प्रकरण बाद जांच कर दर्ज रजिस्टर किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

गया। प्रतिवादीगण को सम्मन से तलब किया गया। बरोज पेशी पक्षकारान द्वारा दिनांक 25.03.2025 को राजीनामा पेश किया गया । जिसमें उन्होने निवेदन किया कि वादी के वाद में वर्णित तथ्य प्रतिवादीगण को पूर्णतः स्वीकार है। वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो उसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का केवलपुरा में आराजी नं. 394/82, 395/82 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1300 हैक्ट. भूमि को राजस्व नक्शे में वादी के मौके कब्जे अनुसार आराजी नं. 150 के स्थान पर तथा इसी अनुसार प्रतिवादीगण की आराजी नं. 150 रकबा 0.1100 हैक्ट. भूमि को राजस्व नक्शे में आराजी नं. 394/82, 395/82 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1300 हैक्ट. के स्थान पर राजस्व नक्शे में तरमीम की घोषित फरमाई जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम कराई जावे। राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया गया। वादी की पहचान अधिवक्ता अनिल सोनावा एवं प्रतिवादीगण की पहचान वकील चेतन जायसवाल ने की ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । वस्तुस्थिति की रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बडीसादडी से रिपोर्ट प्राप्त की गई । जिसके अनुसार ग्राम कल्याणपुरा की वर्तमान आराजी नम्बर 395/82 रकबा 0.065 हैक्ट. किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड होकर नाथूसिंह पिता लखमा मीणा नि. मरावदिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। व आराजी नं. 394/82 रकबा 0.065 हैक्ट. खाता नम्बर 1 में दर्ज होकर किस्म बिलानाम रास्ता दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त आराजीयात का मूल नम्बर 82 रकबा 0.13 हैक्ट. था जो की ना.स. 74/27.7.21 द्वारा सर्मपण आराजी नम्बर 394/82 रकबा 0.065 हैक्ट. बिलानाम रास्ता दर्ज हुआ था व जरिये ना.सं. 75/31.08.21 रूपान्तरण से आवासीय प्रयोजनार्थ आराजी नम्बर 395/82 रकबा 0.0650 दर्ज हुआ ।

मौजा कल्याणपुरा के खाता संख्या 64 (2076–79) की आराजी नम्बर 150 रकबा 0.11 हैक्ट. तारू पिता वाला 1/12 भभूतसिह पिता वख्ता 1/8 मांगुसिहं पिता वख्ता 1/8 वक्ता पिता वाला 1/12 हरजी पिता वाला 1/3 मीणा दर्ज रिकॉर्ड होकर तारू एवं हरजी का हिस्सा बी.ओ.बी. शाखा बोहेडा के रहन है ।

वर्तमान आराजी नम्बर 82 रकबा 0.13 हैक्ट. की गत भू.प्रबन्ध की साबिक आराजी नम्बर 59 मिलान क्षेत्रफल अनुसार भी जरिये नामा.सं. 178/23.03.2011 द्वारा साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 0.13 हैक्ट. वक्ता, तारू हरजी पिता वाला मु. गेन्दी बेवा वाला द्वारा विक्रय से नाथूसिंह पिता लखमा मीणा निवासी मरावदिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई ।

ग्राम कल्याणपुरा की आराजी नम्बर 394/82 रकबा 0.065 हैक्ट. किस्म बिलानाम रास्ता व आराजी नम्बर 395/82 रकबा 0.065 हैक्ट. किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड नाथूसिंह पिता लखमा मीणा निवासी मरावदिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर एक चक होकर किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। एवं प्रतिवादीगण तारू पिता वाला 1/4 ताराचन्द वाला 1/12 भभूतसिंह पिता वकता 1/8 मांगूसिंह पिता वकता 1/8 वकता पिता वाला 1/12 हरजी पिता वाला 1/3 मीणा के कब्जे काश्त मे है ग्रामीण रास्ते पर स्थित है।

आराजी नम्बर 150 रकबा 0.11 हैक्ट. किस्म चाही 3 प्रतिवादीगण तारू वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर मौके पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं हैं एवं एक [illegible] नहीं हुई हैं वर्तमान मे मौके पर वादी नाथूसिह पिता लखमा मीणा निवासी मरावदिया के कब्जे काश्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:16 IST
Reason: SelfAttested

गत भू. प्रबन्ध की साबिक आराजी नम्बर 59 रकबा 13 बिघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 82 रकबा 0.13 हैक्ट. व आराजी नम्बर 122 रकबा 11 बिघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 150 रकबा 0.11 हैक्ट. जमाबंदी संवत 2067–70 के खाता संख्या 62 अनुसार प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। एवं जरिये ना.सं. 178 दिनांक 27.3.2011 द्वारा आराजी नम्बर 59 रकबा 0.13 हैक्ट. वादी को विक्रय की गई थी।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी द्वारा विचाराधीन प्रकरण की तरफ से राजीनामा पेश किया जाकर प्रतिवादीगण की ओर से विचाराधीन वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाने और आराजी नम्बर 394/82 और आराजी नम्बर 395/82 जो आवासीय रूपान्तरित भूमियां है को राजीनामा अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किए जाने और वाद डिक्री किए जाने का कथन किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली, राजीनामा और उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार आराजी नम्बर 395/82 की किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है तथा आराजी नम्बर 394/82 की किस्म रास्ता है।

प्रथम तो जब एक भूमि की किस्म आवासीय है और एक भूमि की किस्म रास्ता हैं । तो आवासीय भूमि की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है तथा रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से इन्द्राज चला आ रहा है तथा राजस्व रिकॉर्ड में यदि वास्तव में रास्ते के इन्द्राज और तरमीम का कोई बिन्दु प्रभावित होता तो स्वयं भूमिधारी द्वारा इस बाबत न्यायालय में कार्यवाही या वाद पेश किया जाता लेकिन ऐसी कोई बात प्रकरण में प्रकट नही हो रही है तथा ऐसा प्रतित हो रहा है कि दुरभिसंधी के जनिए वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा आपसी राजीनामा किया जाकर एक दूसरे को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समर्थन दिया जा रहा है और न्यायालय से डिक्री प्राप्त करना चाहते है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का यह विशेष दायित्व बन जाता है कि विधि के प्रतिकुल कोई आदेश पारित ना हो और इस सब परिस्थितयों में इस न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि प्रस्तुत राजीनामा जो पक्षकारान् द्वारा दिनांक 25.03.2025 को प्रस्तुत किया गया है किसी प्रकार से तस्दीक योग्य नहीं पाया जाता है और प्रस्तुत राजीनामा को अस्वीकार किया जाता है। साथ ही प्रकरण में यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्रकरण ही न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है इसलिए आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग किया जाना उचित समझता हूँ ताकि प्रकरण के निस्तारण में न्यायालय का समय अनावश्यक जाया ना हो इसलिए प्रस्तुत वाद आवासीय भूमि का प्रस्तुत किया जाने से क्षेत्राधिकार के अभाव में तत्काल खारीज किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:16 IST
Reason: SelfAttested

<u>**मूल वाद में अंतिम डिक्री**</u>

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 15/2025 वादपत्र धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट.

नाथुसिंह पिता लखमा मीणा नि. मरावदिया तह. बडीसादडी

—वादी

बनाम

1— तारू उर्फ ताराचन्द पिता वाला मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
2— हरजी पिता वाला मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
3— मांगु सिह पिता वख्ता मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
4— भभुत सिंह पिता वख्ता मीणा नि. कल्याणपुरा तह. बडीसादडी
5— भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादी ओर से श्री चेतन जायसवाल की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा कल्याणपुरा पटवार हल्का केवलपुरा की उक्त प्रकरण संख्या से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात का दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे.....—..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित...—... को दी जावे। यह आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:09:16 IST
Reason: SelfAttested